

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से सम्बन्धित 17 बिन्दुओं की सूचना अयोध्या परिक्षेत्र, अयोध्या।


- 1- परिक्षेत्र स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमें एक जनसूचना अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ सहायक जनसूचना अधिकारी की नियुक्ति की गयी है।
- 2- (i) जनसूचना अधिकारी की शक्तियों/कार्य:- सम्बन्धित द्वारा मॉगी गई सूचनाओं को अपने कार्यालय से सम्बन्धित होने पर, कार्यालय से प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना एवं अन्य जन सूचना अधिकारी से सम्बन्धित होने के फलस्वरूप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित को अन्तरित किया जाना।  
(ii) सहायक जनसूचना अधिकारी की शक्तियों/कार्य:- अपने शाखा से सम्बन्धित सूचना को जनसूचना अधिकारी को समय से उपलब्ध कराना तथा प्रत्येक प्रकरणों से जनसूचना अधिकारी, परिक्षेत्रीय कार्यालय को नियत समय से पूर्व अवगत व प्रस्तुत करना।
- 3- प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उसको सम्बन्धित जनपदों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अन्तरित करना व सूचनायें प्राप्त होने पर सूचना सम्बन्धित को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत उपलब्ध कराना।
- 4- विहित सीमा के अन्तर्गत सूचनाओं को सम्बन्धित जनपदों से प्राप्त करना व समय सीमा के अन्तर्गत आवेदक को सूचना उपलब्ध कराना होता है।
- 5- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन करना/कराना।
- 6- दस्तावेजों का श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है:-
  - ❖ मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र।
  - ❖ पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र।
  - ❖ शासन/अन्य से प्राप्त पत्र।
  - ❖ अपीलीय प्रार्थना पत्र।
- 7- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
- 8- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
- 9- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन किया जाता है।
- 10- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
- 11- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
- 12- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
- 13- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
- 14- संगठन द्वारा प्रदत्त छूट, अधिकार पत्र तथा अधिकृतियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण।

15- इलेक्ट्रानिक प्रारूप में उपलब्ध करायी गयी सूचना- उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप से निबद्ध होने के बाद उसकी प्राप्ति के सम्बन्ध में अवगत कराया जायेगा।

16- लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम- शिविर कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र, अयोध्या में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित है-

क्र०सं०	नाम	पदनाम	कार्य
1.	श्री श्रीप्रकाश पाण्डेय	उ०नि० रीडर/जनसूचना अधिकारी	सम्बन्धित द्वारा मॉगी गई सूचनाओं को अपने कार्यालय से सम्बन्धित होने पर, कार्यालय से प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना एवं अन्य जन सूचना अधिकारी से सम्बन्धित होने के फलस्वरूप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित को अन्तरित किया जाना।
2.	कासिम अंसारी	मुख्य आरक्षी	1- जनसूचना अधिकारी को अपने शाखा से सम्बन्धित सूचना समय से उपलब्ध कराना एवं व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा मॉगी गई सूचना को अपने अधीनस्थ जनपदों से प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराने एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों को अन्तरित करने में जनसूचना अधिकारी का सहयोग करना। 2- समस्त अभिलेखों का रख-रखाव करना, आलेख प्रस्तुत करना व अनुस्मारक निर्गत करना एवं समस्त दस्तावेजों को अद्यावधिक करना।

17- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

  
 (उ०नि० श्रीप्रकाश पाण्डेय)  
 जनसूचना अधिकारी,  
 कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक,  
 अयोध्या परिक्षेत्र, अयोध्या।